रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05032026-270690
CG-DL-E-05032026-270690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 5, 2026/फाल्गुन 14, 1947
No. 152] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 5, 2026/PHALGUNA 14, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2026

सा.का.नि. 158(अ).— केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 285खक के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर पहला (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये 1 जनवरी, 2026 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 114च में,—

(क) खंड (1) में,—

(क) उपखण्ड (v) के पश्चात, स्पष्टीकरण में,—

(I) खंड (क) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, इस खंड का उपबंध इस प्रभाव से लागू होगा कि "बैंकिंग या समान कारबार के मामूली उपक्रम में वित्तीय संस्थान" अभिव्यक्ति को "निक्षेपागार संस्थान" वाक्यांश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि कि यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, "निक्षेपागार खाते" में निम्नलिखित भी शामिल होगा—

(i) खाता या काल्पनिक खाता जो ग्राहक के फ़ायदे के लिए रखे गए सभी विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद को दिखाता है; और

(ii) एक खाता जो ग्राहक के फायदे के लिए एक या एक से अधिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं रखता है';

(II) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(कक) "सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी" से सेंट्रल बैंक द्वारा जारी किसी भी डिजिटल वैध करेंसी अभिप्रेत है;';

(III) खंड (ज) में,—

(i) उपखंड (vi) में, मद (घ) के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङ) किसी कंपनी की नींव या पूंजी वृद्धि, परन्तु यह तब जबकि खाता निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो, अर्थात्:—

(i) खाते का उपयोग अनन्य रूप से पूंजी जमा करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग विधि द्वारा विहित के अनुसार कंपनी की स्थापना या पूंजी वृद्धि के लिए किया जाना है;

(ii) खाते में रखी गई कोई भी रकम तब तक अवरुद्ध रहेगी जब तक कि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान नींव या पूंजी वृद्धि के बारे में स्वतंत्र पुष्टि प्राप्त नहीं कर लेता;

(iii) नींव या पूंजी वृद्धि के बाद खाता बंद कर दिया जाता है या कंपनी के नाम पर खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है;

(iv) किसी अनुत्तीर्ण नींव या पूंजी में बढ़ोतरी से होने वाला कोई भी पुनःसंदाय, सेवा प्रदाता और इसी तरह की फीस को घटाकर, केवल उन्हीं लोगों को किया जाएगा जिन्होंने रकम दी थी; और

(v) खाता 12 माह से अधिक पहले नहीं स्थापित गया हो:

परन्तु मद (ङ) के उपबंध यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के संबंध में लागू होंगे;";

(ii) उपखंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(viii) यू.एस. रिपोर्टयोग्य डिपॉजिटरी खाता के अतिरिक्त कोई खाता, जो ग्राहक के लाभ के लिए रखे गए सभी विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पादों का प्रतिनिधित्व करता है, यदि नब्बे दिनों की लगातार किसी भी अवधि के दौरान रोलिंग औसत नब्बे दिन अंत-कुल खाता अतिशेष या मूल्य कैलेंडर वर्ष या अन्य समुचित रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी दिन 10,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं था;"

(ख) खंड (2) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, "वित्तीय आस्ति" में किसी सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति में कोई भी ब्याज (वायदा या अग्रिम संविदा या विकल्प सहित) भी शामिल होगा;";

(ग) खंड (3) के स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'परंतु यू.एस. रिपोर्ट करने योग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, "निक्षेपागार संस्था" में वह इकाई भी शामिल होगी जो ग्राहकों के लाभ के लिए विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद या केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी रखती है;';

(ii) खंड (ग) में,—

(I) उप-खंड (क) में, मद (iii) में, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'परन्तु यूएस रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, मद (iii) के उपबंध इस प्रभाव से लागू होंगे कि "वित्तीय आस्ति" वाक्यांश को "वित्तीय आस्ति या संबंधित क्रिप्टो आस्ति" वाक्यांश से प्रतिस्थापित किया जाएगा "।

परन्तु यह और कि कि यूएस रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी दूसरे खाते के लिए, मद (iii) में ग्राहक के लिए या उनकी ओर से विनिमय संव्यवहार करने वाली सेवा का उपबंध शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.- मद (iii) के प्रयोजनों के लिए, "विनिमय संव्यवहार" शब्द से निम्नलिखित अभिप्रेत है-

(i) संबंधित क्रिप्टो-आस्ति और वैध करेंसी के बीच विनिमय; और

(ii) सुसंगत क्रिप्टो-आस्तियों के एक या एक से अधिक रूपों के बीच विनिमय;"

(II) स्पष्टीकरण 2 के नीचे, उप-खण्ड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यूएस रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, उप-खंड (ख) और स्पष्टीकरण 1 के उपबंध इस प्रभाव से लागू होंगे कि "वित्तीय आस्तियों" वाक्यांश को "वित्तीय आस्ति या सुसंगत क्रिप्टो आस्तियों" वाक्यांश द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।";

(घ) खंड (5) में,—

(i) उपखंड (क) में, मद (i) में, "निक्षेपागार संस्था" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"निक्षेपागार संस्था; या

(ii) उन खाताधारकों के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाए रखने की गतिविधि के संबंध में जो वित्तीय संस्थान, सरकारी इकाई, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या सेंट्रल बैंक नहीं हैं:

परन्तु मद (ii) के उपबंध यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के संबंध में लागू होंगे;";

(ii) उपखंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(जक) यू.एस. रिपोर्ट योग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के संबंध में एक अर्ह गैर-लाभकारी इकाई;";

(iii) स्पष्टीकरण में, खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(डक) "अर्हता प्राप्त गैर-लाभकारी इकाई" से भारत में स्थित एक इकाई अभिप्रेत है जिसने आयकर विभाग या भारत के अन्य सरकारी प्राधिकरण से यह पुष्टि प्राप्त कर ली है कि ऐसी संस्था निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करती है, अर्थात्:—

(i) यह भारत में अनन्य रूप से धार्मिक, धर्मार्थ, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, एथलेटिक, या शैक्षिक प्रयोजनों के लिए स्थापित और संचालित है; या यह भारत में स्थापित और संचालित है और यह एक वृत्तिक संगठन, कारबार लीग, वाणिज्य मंडल, श्रम संगठन, कृषि या बागवानी संगठन, सिविल लीग या सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनन्य रूप से संचालित संगठन है;

(ii) उसे भारत में आयकर से छूट प्राप्त है;

(iii) इसका कोई शेयरधारक या सदस्य नहीं है, जिसका इसकी आय या आस्तियों में सांपत्तिक या फायदाप्रद हित हो;

(iv) भारत के लागू विधियों या इकाई के बनने के दस्तावेजों, इकाई की किसी भी आय या आस्ति को किसी निजी व्यक्ति या गैर-पूर्त इकाई को बांटने या उसके फायदे के लिए प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते, सिवाय इकाई की पूर्त क्रियाकलापों के संचालन के लिए, या दी गई सेवा के लिए सही प्रतिकर के भुगतान के तौर पर, या इकाई द्वारा खरीदी गई संपत्ति की फेयर मार्केट वैल्यू के संदाय के तौर पर; और

(v) भारत के लागू विधियों या इकाई के गठन के दस्तावेजों के अनुसार यह आवश्यक है कि इकाई के परिसमापन या विघटन पर उसकी सभी आस्तियों को किसी सरकारी इकाई या अन्य इकाई को वितरित कर दिया जाए जो (i) से (v) में निर्धारित शर्तों को पूरा करती हो, या भारत सरकार या उसके किसी राजनीतिक उप-विभाग को सौंप दिया जाए;";

(ङ) खंड (5) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(5क) "सुसंगत क्रिप्टो-आस्ति" से कोई भी क्रिप्टो-आस्ति अभिप्रेत है—

(क) जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नहीं है; या

(ख) जो कोई विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद नहीं है; या

(ग) जिसके लिए रिपोर्टिंग क्रिप्टो-आस्ति सेवा प्रदाता ने पर्याप्त रूप से यह निर्धारित किया है कि इसका उपयोग भुगतान या निवेश उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है;";

(च) खंड (6) में, स्पष्टीकरण के उपखंड (च) की मद (vi) में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

""(vi) वित्तीय आस्तियों की बिक्री या विनिमय से होने वाले लाभ की हानि से अधिकता;"

(छ) खंड (8) में, उपखंड (ख) में, उपखंड (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(i) एक इकाई, जिसके स्टॉक का नियमित रूप से एक या एक से अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में कारबार होता है;

(ii) कोई इकाई जो मद (i) में उल्लिखित इकाई की संबंधित इकाई है;";

(ज) खंड (9) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(9क) "विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद" से ऐसा कोई उत्पाद अभिप्रेत है, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है, अर्थात्:—

(क) यह एकल वैध मुद्रा का डिजिटल रूपण है;

(ख) यह भुगतान संव्यवहार करने के उद्देश्य से धन प्राप्त होने पर जारी किया जाता है;

(ग) यह उसी वैध मुद्रा में जारीकर्ता को दावे द्वारा दर्शाया जाता है;

(घ) इसे जारी करने वाले के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति या विधिक व्यक्ति द्वारा संदाय के तौर पर स्वीकार किया जाता है; और

(ङ) यह, नियामक आवश्यकताओं के आधार पर, जिसके अधीन जारीकर्ता है, उत्पाद धारक के अनुरोध पर किसी भी समय और समान मूल्य पर उसी वैध मुद्रा के लिए मोचनीय हो सकता है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 'विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा उत्पाद' में ऐसा उत्पाद शामिल नहीं है जो केवल ग्राहक के निर्देश के अनुसार से किसी ग्राहक से दूसरे व्यक्ति को निधि अंतरण करने में सहायता करने के उद्देश्य से बनाया गया हो;

(ii) किसी उत्पाद का निर्माण केवल धन के हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, यदि हस्तांतरण करने वाली इकाई के कारबार के सामान्य क्रम में, या तो ऐसे उत्पाद से जुड़ी निधि को हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के निर्देश प्राप्त होने के 60 दिनों से अधिक समय तक रखा जाता है, या यदि कोई निर्देश प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे उत्पाद से जुड़ी निधि को निधि की प्राप्ति के 60 दिनों से अधिक समय तक रखा जाता है;

(iii) "वैध मुद्रा" से किसी देश या प्रदेश की राजकीय मुद्रा, जो उस देश या प्रदेश द्वारा, या उस देश या प्रदेश के निर्दिष्ट सेंट्रल बैंक या धनीय प्राधिकारी द्वारा जारी की जाती है, जिसे भौतिक बैंकनोट या सिक्कों या भिन्न-भिन्न डिजिटल रूपों में मुद्रा के रूप में दिखाया जाता

है, जिसमें बैंक रिज़र्व और सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा शामिल हैं, जिसमें वाणिज्यिक बैंक धन और इलेक्ट्रॉनिक धन उत्पाद (विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक धन उत्पाद सहित) शामिल हैं;"

3. उक्त नियम में, नियम 114छ में,—

(क) उपनियम (1) में,—

(i) खंड (क) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यू.एस. रिपोर्ट करने योग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के मामले में, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान भी,—

(i) खाताधारक ने वैध स्व-प्रमाणीकरण दिया है या नहीं, इसे बनाए रखे और रिपोर्ट करें; और

(ii) रिपोर्ट करें कि क्या खाता संयुक्त खाता है, जिसमें संयुक्त खाताधारकों की संख्या भी शामिल है।"

(ii) खण्ड (ख) में,—

(क) उप-खण्ड (i) में, अंत में आने वाले शब्द "निवास;" के स्थान पर, शब्द "निवास; और" शब्द रखे जाएंगे।

(ख) उप-खण्ड (ii) में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यू.एस. रिपोर्ट करने योग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के मामले में, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान भी—

(i) उस भूमिका को बनाए रखना और रिपोर्ट करना जिसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति इकाई का नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है और क्या प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति के लिए वैध स्व-प्रमाणन प्रदान किया गया है;

(ii) रिपोर्ट करें कि क्या खाता संयुक्त खाता है, जिसमें संयुक्त खाताधारकों की संख्या भी शामिल है।;";

(iii) खंड (ग) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु कि यूएस रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के मामले में, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान खाते के प्रकार को भी बनाए रखेगा और रिपोर्ट करेगा और यह भी बताएगा कि खाता पहले से विद्यमान खाता है या नया खाता है;";

(iv) खंड (ङ.) की मद (ii) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ii) कैलेंडर वर्ष के दौरान खाते के संबंध में भुगतान या जमा की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री या मोचन से कुल सकल आय, जिसके संबंध में रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान ने खाताधारक के लिए संरक्षक, दलाल, नामिती या अन्यथा एजेंट के रूप में काम किया;''

(v) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"(चक) यूएस रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के मामले में, जहां कोई इक्विटी हित किसी निवेश इकाई में रखा जाता है जो कि एक विधिक व्यवस्था है, भूमिका(भूमिकाएं) जिसके आधार पर रिपोर्ट योग्य व्यक्ति एक इक्विटी हित धारक है;";

(ख) उपनियम (4) मे, परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के लिए, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्था करदाता पहचान संख्या और जन्म की तारीख प्राप्त करेगी, जब भी उसे धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पहले से विद्यमान खाते से संबंधित सूचना को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी;";

(ग) उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम और परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(6क) उप-नियम (1) के खंड (ङ) के उप-खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, और जब तक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान किसी भी स्पष्ट रूप से पहचाने गए खातों के समूह के संबंध में अन्यथा नहीं चुनता है, वित्तीय आस्ति की बिक्री या मोचन से होने वाली सकल आय को उस सीमा तक रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि ऐसी वित्तीय आस्ति की बिक्री या मोचन से होने वाली सकल आय को रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान द्वारा क्रिप्टो-आस्ति रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अधीन रिपोर्ट नहीं किया जाता है:

परन्तु इस उप-नियम के उपबंध यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के संबंध में लागू होंगे।";

(घ) उपनियम (11) पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(12) इस नियम के उप-नियम (1) के उप-खंड (ख) और (चक) में किसी भी बात के होते हुए भी, यू.एस. रिपोर्ट करने योग्य खाते के अतिरिक्त प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खाते के संबंध में जिसे 31 दिसंबर, 2025 तक एक रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान द्वारा बनाए रखा जाता है और ऐसी तारीख के बाद दूसरे कैलेंडर वर्ष को समाप्त होने वाली रिपोर्टिंग अवधि के लिए, उस भूमिका के संबंध में जानकारी जिसके आधार पर प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य व्यक्ति इकाई का नियंत्रक व्यक्ति या इक्विटी हित धारक है, केवल तभी रिपोर्ट की जानी आवश्यक है जब ऐसी जानकारी रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान द्वारा बनाए रखे गए इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोजने योग्य डेटा में उपलब्ध हो।";

4. उक्त नियम के नियम 114ज में,—

(क) उपनियम (2) में,—

(i) खंड (घ) में, उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में, 1 जनवरी, 2016 या यदि खाते को केवल सामान्य रिपोर्टिंग मानक में संशोधनों के कारण वित्तीय खाता माना जाता है, तो 1 जनवरी 2026 को या उसके पश्चात्;";

(ii) खंड (ज) में, उपखंड (II) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(II) अन्य रिपोर्ट योग्य खाते के मामले में, 31 दिसंबर, 2015 या यदि खाते को सामान्य रिपोर्टिंग मानक में संशोधन के आधार पर पूरी तरह से वित्तीय खाता माना जाता है, तो 31 दिसंबर 2025 तक;";

(ख) उपनियम (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के मद (ख) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यू.एस. रिपोर्टयोग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के मामले में, यदि रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान को धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का **15**) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार सूचना एकत्रित करने और बनाए रखने के लिए विधिक तौर पर बाध्य नहीं है, तो उसे नियंत्रक व्यक्तियों का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए लगभग समान प्रक्रियाओं को लागू करना होगा;";

(ग) उपनियम (7) में खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) यूएस रिपोर्ट करने योग्य खाते के अतिरिक्त किसी अन्य खाते के मामले में, असाधारण परिस्थितियों में जहां रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान द्वारा किसी नए खाते के संबंध में समय पर स्व-प्रमाणन प्राप्त नहीं किया जा सकता है ताकि उस रिपोर्टिंग अवधि के संबंध में अपने उचित परिश्रम और रिपोर्टिंग दायित्वों को पूरा किया जा सके जिसके दौरान खाता खोला गया था, रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान को ऐसे नए खातों पर पहले से विद्यमान खातों के लिए लागू उचित परिश्रम प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए, जब तक कि ऐसा स्व-प्रमाणन प्राप्त और मान्य नहीं हो जाता है;";

(घ) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(9) नियम 114च, 114छ और इस नियम के प्रयोजनों के लिए, सुसंगत क्रिप्टो-आस्तियों में किसी भी संव्यवहार के संबंध में किसी भी सूचना का आदान-प्रदान केवल संबंधित क्षेत्राधिकार द्वारा करों के प्रशासन के सीमित प्रयोजनों के लिए है।

[अधिसूचना सं. 19/2026/फा. सं. 370149/209/2025-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव

टिप्पण:- मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969 (अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 598 (अ), तारीख 01 सितम्बर, 2025 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2026

G.S.R. 158(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 285BA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax __________ (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 2026.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in Rule 114F,—

(a) in clause (1),—

(A) after sub-clause (v), in the *Explanation,*—

(I) in clause (a), the following provisos shall be inserted, namely:–

"Provided that for an account other than a U.S. reportable account, the provision of this clause shall apply with the effect that the phrase "financial Institution in the ordinary course of a banking or similar business" shall be substituted by the phrase "depository institution":

Provided further that for an account other than a U.S. reportable account, a "depository account" shall also include —

(i) an account or notional account that represents all specified electronic money products held for the benefit of a customer; and

(ii) an account that holds one or more central bank digital currencies for the benefit of a customer';

(II) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:–

'(aa) "central bank digital currencies" means any digital fiat currency issued by a Central Bank;';

(III) in clause (h),—

(i) in sub-clause (vi), after item (D), the following shall be inserted, namely:—

"(E) a foundation or capital increase of a company provided that the account satisfies the following requirements, namely: —

(i) the account is used exclusively to deposit capital that is to be used for the purpose of the foundation or capital increase of a company, as prescribed by law;

(ii) any amounts held in the account are blocked until the Reporting Financial Institution obtains an independent confirmation regarding the foundation or capital increase;

(iii) the account is closed or transformed into an account in the name of the company after the foundation or capital increase;

(iv) any repayments resulting from a failed foundation or capital increase, net of service provider and similar fees, are made solely to the persons who contributed the amounts; and

(v) the account has not been established more than 12 months ago:

Provided that the provisions of item (E) shall apply in respect of an account other than a U.S. reportable account;”;

(ii) after sub-clause (vii), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

“(viii) a depository account, other than U.S. reportable account, which represents all specified electronic money products held for the benefit of a customer, if the rolling average ninety-day end-of-day aggregate account balance or value during any period of ninety consecutive days did not exceed USD 10,000 at any day during the calendar year or other appropriate reporting period;”;

(b) in clause (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:–

“Provided further that for an account other than a U.S. reportable account, "financial asset" shall also include any interest (including a futures or forward contract or option) in a relevant crypto-asset;”;

(c) in clause (3), in the Explanation,—

(i) in clause (b), the following proviso shall be inserted namely:—

‘Provided that for an account other than a U.S. reportable account, “depository institution” shall also include an entity that holds specified electronic money products or central bank digital currencies for the benefit of customers;’;

(ii) in clause (c),—

(I) in sub-clause (A), in item (iii), the following shall be inserted, namely:—

‘Provided that for an account other than U.S. reportable account, the provisions of item (iii) shall apply with the effect that the phrase “financial assets” shall be substituted by the phrase “financial assets or relevant crypto-assets”.

Provided further that for an account other than U.S. reportable account, the item (iii) shall not include the provision of services effectuating exchange transactions for or on behalf of customers.

Explanation.— For the purposes of item(iii), the term “exchange transaction’’ means any –

(i) exchange between relevant crypto-assets and fiat currencies; and

(ii) exchange between one or more forms of relevant crypto-assets;”

(II) in sub-clause (B), below *Explanation 2,* the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that for an account other than a U.S. reportable account, the provisions of sub-clause (B) and Explanation 1 shall apply with the effect that the phrase “financial assets” shall be substituted by the phrase “financial assets or relevant crypto-assets”.”;

(d) in clause (5),—

(i) in sub-clause (a), in item (i), for the words “depository institution;”, the following shall be substituted, namely:—

“depository institution***; or***

(ii) with respect to the activity of maintaining central bank digital currencies for account holders which are not financial institutions, governmental entities, international organizations or central banks:

Provided that the provisions of item(ii) shall apply in respect of an account other than a U.S. reportable account;”;

(ii) after sub-clause (h), the following sub-clause shall be inserted, namely:–

"(ha) a qualified non-profit entity in respect of an account other than a U.S. reportable account;";

(iii) in the Explanation, after clause (M), the following clause shall be inserted namely:—

"(MA) "Qualified Non-Profit Entity" means an entity resident in India that has obtained confirmation by the Income-tax Department or other governmental authority of India that such entity meets all of the following conditions, namely: —

(i) it is established and operated in India exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in India and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organisation operated exclusively for the promotion of social welfare;

(ii) it is exempted from income tax in India;

(iii) it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets;

(iv) the applicable laws of India or the entity's formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or a noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased; and

(v) the applicable laws of India or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a Governmental entity or other entity that meets the conditions set out in (i) to (v), or escheat to the Government of India or any political sub-division thereof;";

(e) after clause (5), the following clause shall be inserted, namely:—

"(5A) "relevant crypto-asset" means any crypto-asset—

(a) that is not a Central Bank Digital Currency; or

(b) that is not a specified electronic money product; or

(c)for which the reporting crypto-asset service provider has adequately determined that it cannot be used for payment or investment purposes;";

(f) in clause (6), in item (vi) of sub-clause (F) of the Explanation, the following shall be substituted, namely:—

"(vi) the excess of gains over losses from the sale or exchange of financial assets;"

(g) in clause (8), in sub-clause (b), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

"(i) an entity, the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;

(ii) any *entity* that is a related entity of *an entity* mentioned in item (i);";

(h) after clause (9), the following shall be inserted, namely:—

"(9A) "Specified Electronic Money Product" means any product that satisfies following criteria, namely:—

(a) it is a digital representation of a single fiat currency;

(b) it is issued on receipt of funds for the purpose of making payment transactions;

(c) it is represented by a claim on the issuer denominated in the same fiat currency;

(d) it is accepted in payment by a natural or legal person other than the issuer; and

(e) it is, by virtue of regulatory requirements to which the issuer is subject, redeemable at any time and at par value for the same fiat currency upon request of the holder of the product.

Explanation – For the purposes of this clause, —

(i) 'Specified Electronic Money Product' does not include a product created for the sole purpose of facilitating the transfer of funds from a customer to another person pursuant to instructions of the customer;

(ii) a product is not created for the sole purpose of facilitating the transfer of funds if, in the ordinary course of business of the transferring entity, either the funds connected with such product are held longer than 60 days after receipt of instructions to facilitate the transfer, or, if no instructions are received, the funds connected with such product are held longer than 60 days after receipt of the funds;

(iii) "fiat currency'' means the official currency of a country or territory, issued by such country or territory, or by the designated Central Bank or monetary authority of such country or territory, as represented by physical banknotes or coins or by money in different digital forms, including bank reserves and Central Bank Digital Currencies, including commercial bank money and electronic money products (including specified electronic money products);"

3. In the said rules, in rule 114G,--

(a) in sub-rule (1),--

(i) in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely:--

"Provided that in the case of an account other than a U.S. reportable account, a reporting financial institution shall also, –

(i) maintain and report whether the account holder has provided a valid self-certification; and

(ii) report whether the account is a joint account, including the number of joint Account Holders.";

(ii) in clause (b),--

(A) in sub-clause (i), for the words "residence;" occurring at the end, the words "residence; and" shall be substituted.

(B) In sub-clause (ii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in the case of an account other than a U.S. reportable account, a reporting financial institution shall also –

(i) maintain and report the role by virtue of which each reportable person is a controlling person of the entity and whether a valid self-certification has been provided for each reportable person;

(ii) report whether the account is a joint account, including the number of joint Account Holders.";

(iii) in clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in the case of an account other than a U.S. reportable account, a reporting financial institution shall also maintain and report the type of account and whether the account is a pre-existing account or a new account;”;

(iv) in item (ii) of clause (e), the following shall be substituted, namely:—

“(ii) the total gross proceeds from the sale or redemption of financial assets paid or credited to or with respect to the account during the calendar year with respect to which the reporting financial institution acted as a custodian, broker, nominee, or otherwise as an agent for the account holder;”

(v) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:--

“(fa) in the case of an account other than U.S. reportable account, where any equity interest is held in an investment entity that is a legal arrangement, the role(s) by virtue of which the reportable person is an equity interest holder;”;

(b) in sub-rule (4), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:--

“Provided further that for an account other than a U.S. reportable account, the reporting financial institution shall obtain the taxpayer identification number and date of birth whenever it is required to update the information relating to the pre-existing account pursuant to the rules made under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002(15 of 2003).”;

(c) after sub-rule (6), the following sub-rule and proviso shall be inserted, namely:--

“(6A) Notwithstanding anything contained in sub-clause (ii) of clause (e) of sub-rule (1) and unless the reporting financial institution elects otherwise with respect to any clearly identified group of accounts, the gross proceeds from the sale or redemption of a financial asset are not required to be reported to the extent such gross proceeds from the sale or redemption of such financial asset are reported by the reporting financial institution under the Crypto-Asset Reporting Framework:

Provided that the provisions of this sub-rule shall apply in respect of an account other than U.S. reportable account.”;

(d) after sub-rule (11), the following sub-rule shall be inserted, namely:--

“(12) Notwithstanding anything in sub-clauses (b) and (fa) of sub-rule (1) of this rule, with respect to each reportable account other than a U.S. reportable account that is maintained by a reporting financial institution as of 31st December, 2025 and for reporting periods ending by the second calendar year following such date, information with respect to the role by virtue of which each reportable person is a controlling person or equity interest holder of the entity is only required to be reported if such information is available in the electronically searchable data maintained by the reporting financial institution.”;

4. In the said rules, in rule 114H,—

(a) in sub-rule (2),--

(i) in clause (d), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:--

"(ii) in case of other reportable account, the 1st January, 2016 or, if the account is treated as a financial account solely by virtue of the amendments to the Common Reporting Standard, on or after 1st January 2026;";

(ii) in clause (h), for sub-clause (II), the following sub-clause shall be substituted, namely:--

"(II) in case of other reportable account, the 31st December, 2015 or, if the account is treated as a financial account solely by virtue of the amendments to the Common Reporting Standard, as of 31st December 2025;";

(b) in sub-rule (6), in clause (a), in sub-clause (ii), in item (B), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in the case of an account other than a U.S. reportable account, if the reporting financial institution is not legally required to collect and maintain information in accordance with the rules made under the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), it must apply substantially similar procedures for the purpose of determining the controlling persons;";

(c) in sub-rule (7), after clause (a), the following clause shall be substituted, namely:--

"(aa) in the case of an account other than a U.S. reportable account, in exceptional circumstances where a self-certification cannot be obtained by a reporting financial institution in respect of a new account in time to meet its due diligence and reporting obligations with respect to the reporting period during which the account was opened, the reporting financial institution must apply the due diligence procedures as applicable for the pre-existing accounts to such new accounts, until such self-certification is obtained and validated;";

(d) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:--

"(9) For the purposes of rule 114F, 114G and this rule, exchange of any information in respect of any transaction in relevant crypto-assets is only for the limited purposes of administration of taxes by the relevant jurisdiction.".

[Notification No. 19/2026/F. No. 370149/209/2025-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy.

Note:- The principal rules were published vide notification S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 598(E), dated the 01st September, 2025.

SAG blog

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA